FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

SDO मुकाम रैणी

प्रेम बनाम TDR

नं. सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/11/21 आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत...बीलेटा........... में दिनांक...12.11.21... को पेश होने वास्ते तलब होकर पेश हुई। पक्षकारान् को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत.....बीलेटा..... में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक...12.11.21.... को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत...बीलेटा.. पेश हों। Sd/- उपखण्ड अधिकारी रैणी ज़िला अलवर	
12/11/21 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बिलेटा में पेश हुई। मुताबिक तहसीलदार रैणी के प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णीत होकर रजिस्टर से कम की जावे। बाद मिर्ति दाखिल दफ्तर हो। Sd/- पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत...बीलेटा उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर

(पीठीसान अधिकारी श्री अनिल कुमार सिघंल)

संख्या 3/01/2021

1. प्रेमचन्द पुत्र देवीसहाय जाति ब्राहमण निवासी शिम्भूबास गुगडोद तहसील रैणी जिला अलवर
2. जगदीश प्रसाद पुत्र देवीसहाय जाति ब्राहमण निवासी शिम्भूबास गुगडोद तहसील रैणी जिला अलवर
3. रामबाबू पुत्र देवीसहाय जाति ब्राहमण निवासी शिम्भूबास गुगडोद तहसील रैणी जिला अलवर
4. रामस्वरूप पुत्र देवीसहाय जाति ब्राहमण निवासी शिम्भूबास गुगडोद तहसील रैणी जिला अलवर

............प्रार्थीगण

बनाम्

1. तहसीलदार साहब रैणी तहसील रैणी जिला अलवर

............प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित : श्री धर्मेन्द्र सिंह जैसावत
श्री संदीप कुमार शर्मा – प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 12.11.2021

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु प्रशासन गॉव के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बीलेटा पर पेश हुई। सूक्षम वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी हाल ख0नं0 25 रकबा 1.22 ऐयर, 27 रकबा 1.18 ऐयर वाके ग्राम गुगडोद तहसील रैणी मे स्थित है। यह है कि ग्राम गुगडोद का बन्दोबस्त सम्बत् 2046–65 मे हुआ। जिसमे कर्मचारी

...भाग द्वारा सहवन से ख0नं0 25 व 27 मे होकर डॉट लाईन से गलत ...स एक लाईन दर्ज करदी। जबकि उक्त आराजी के जो साबिक ख0नं0 33 ...13 मे पूर्व मे किसी प्रकार डोटेड लाईन नही थी। उक्त बन्दोबस्त विभाग ...कार्यवाही एक लिपिकीय भूल है जो साबिक के अनुसार काबिल दुरूस्ती योग्य ...स प्रकार हाल नक्शे मे जो बन्दोबस्त विभाग द्वारा सहवन से लिपिकीय भूल ...कारण ख0नं0 25व 27 मे डॉटेड लाईन दर्शाई गई है जो काबिल दुरूस्ती है ...र इस प्रकार की गलत इन्द्राज से प्रार्थीगण खातेदारान के हकूक खातेदार ...भावित हो रहे है। जिसे दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है। उक्त संबंध की जानकारी प्रार्थीगण द्वारा अपने राजस्व रिकार्ड का नकल लेने जानकारी मे आया तथा जानकारी होते ही प्रार्थीगण द्वारा दुरूस्ती बाबत यह वाद न्यायालय श्रीमान के यहा पेश कर दिया गया। जिसका सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी न्यायालय श्रीमान का है। अंत मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर हाल नक्शा ट्रेस मे खसरा नं0 25 के पश्चिम भुजा मे डॉट–डॉट लाईन दी गई है व ख0नं0 27 के उत्तरी भुजा मे डॉट–डॉट लाईन दिखाई गई है जो ग्राम गुगडोद तहसील रैणी के नक्शे मे है उसे हाल नक्शे मे से हटाया जाकर साबिक नक्शा ट्रेस ख0नं0 33, 12, 13 वाके ग्राम गुगडोद तहसील राजगढ के अनुसार दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया तथा पुष्टि मे मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 नक्शा ट्रेस हाल नक्शा ट्रेस साबिक, जमाबंदी साबिक व हाल जमाबंदी सम्वत् 2075 खाता संख्या 64 पेश की गई।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने का आदेश जारी किये।

आज पत्रावली प्रार्थीगण व उसके वकील के आग्रह पर वास्ते निर्णय हेतु प्रशासन गॉव के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बीलेटा पर वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण मे अप्रार्थी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का पाटन व तहसीलदार रैणी द्वारा रिपोर्ट पेश की। प्रस्तुत रिपोर्ट मे उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्यो को सही होने की पुष्टि की। तथा निवेदन किया कि हाल ख0नं0

27 मे डॉट लाईन अंकित कर रखी है तथा उक्त आराजी ग्राम गुगडोद मे है जिसके प्रार्थीगण खातेदार है। यह है कि हाल ख0नं0 25 के गत खसरा 33 मिन मे भी डॉट लाईन का अंकन नही है। तथा अंकित डॉट लाईन का नक्शे मे अलग से कोई खसरा नं0 भी अंकित नही है। इसलिये हाल खसरा 25 व 27 के नक्शे मे अंकित डॉट लाईन को गत नक्शा के मुताबिक व मौके अनुसार हजफ व शुद्व किया जाना उचित है दर्शाया गया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 नक्शा ट्रेस हाल नक्शा ट्रेस साबिक, जमाबंदी साबिक व हाल जमाबंदी सम्वत् 2075 खाता संख्या 64 पेश की गई है का अवलोकन किया। तथा पटवारी हल्का पाटन व तहसीलदार रैणी द्वारा बाद मौका जॉच व रिकार्ड के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है का भी अवलोकन किया। प्रार्थीगण का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 के अंकित इन्द्राज से यह तथ्य साबित है कि हाल ख0नं0 25 व 27 गत ख0नं0 33 व 12, 13 से बने है। साबिक खस0नं0 33 व 12, 13 वाके गुगडोद से संबंधित साबिक नक्शा का भी अवलोकन किया। जैसा कि हाल नक्शे मे खसरा नं0 25 व 27 मे डॉट लाईन दिखाई गई है वह साबिक मे नही है। उक्त तथ्य की पुष्टि रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार रैणी द्वारा भी अपनी जॉच रिपोर्ट मे की गई है। जैसा कि हाल नक्शे मे जो डॉट लाईन दिखाई गई है उसका अलग से कोई खसरा नं0 भी नही दर्शाया हुआ है। उक्त तथ्य को भी पटवारी हल्का व तहसीलदार रैणी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे भी साबित किया है। उक्त विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से साबित होता है कि बन्दोबस्त सम्वत् 2046 के कर्मचारियो द्वारा सहवन से लिपिकीय भूल से हाल नक्शे मे खसरा नं0 25 व 27 मे डॉट लाईन दर्शाई है जो साबिक नक्शे के विपरीत है जो एक सहवन की लिपिकीय भूल है तथा काबिल दुरूस्ती योग्य है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

गण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट हाल ख0नं0 25 व 27 तहसील रैणी स्वीकार किया जाता है। हाल नक्शा ट्रेस में ख0नं0 25 के तथा ख0नं0 27 के उत्तरी भुजा मे जो साबिक खसरा नक्शा ट्रेस ख0नं0 वाके ग्राम गूगडोद तहसील रैणी के विपरीत डॉट–डॉट लाईन दर्शाई गई है से हटाये जाने अर्थात साबिक नक्शे के अनुसार हाल नक्शे को दुरूस्त किये आदेश तहसीलदार रैणी को दिये जाते है। प्रार्थीगण इस प्रकार साबिक नक्शे के हाल नक्शा ख0नं0 25 व 27 से डॉट लाईन को हजफ करवाकर नक्शा दुरूस्त का अधिकारी है। तहसीलदार रैणी को निर्णय की पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

12.11.21

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रैणी
दिनांक 30/12/21

क्रमांक: राजस्व/2021/216

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रैणी के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक निर्णय दिनांक 12.11.2021 की पालना कर पालना रिपोर्ट कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें।

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला अलवर